भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1952
उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

तेलंगाना में एमएसएमई

1952. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेलंगाना में वर्तमान में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) और सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) जैसी विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत तेलंगाना में एमएसएमई को प्रदान की गई वित्तीय सहायता, ऋण सहायता और सब्सिडी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के अंतर्गत उन्नयन हेतु तेलंगाना में किन्हीं संकुलों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संकुलों की वर्तमान स्थिति क्या है और राज्य में एमएसएमई प्रतिस्पर्धा और रोजगार सृजन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 01.07.2020 को किया गया था, दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, तेलंगाना में उद्यम पंजीकरण (यूआर) पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या 35,39,421 थी, और जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) : भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से, तेलंगाना राज्य सहित देश भर में एमएसएमई के संवर्धन एवं विकास के लिए विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित करती है।

इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), खरीद और विपणन सहायता स्कीम (पीएमएसएस), एमएसएमई के कार्य निष्पादन में संवर्धन और गतिवर्धन स्कीम (रैंप), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी), राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच), एमएसएमई चैम्पियंस, पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान तेलंगाना राज्य में पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी निम्न प्रकार से है:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
1	2020-21	2025	63.75
2	2021-22	2906	98.45
3	2022-23	2540	102.25
4	2023-24	2503	108.11
5	2024-25	1850	82.82

तेलंगाना राज्य, अखिल भारत में विगत पाँच वर्षों के दौरान क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) के तहत अनुमोदित गारंटियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

विगत पाँच वर्षों के दौरान अनुमोदित सीजीटीएमएसई गारंटियाँ (राशि करोड़ रूपए में)										
	वित्त वर्ष 20-21		वित्त वर्ष 21-22		वित्त वर्ष 22-23		वित्त वर्ष 23-24		वित्त वर्ष 24-25	
	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	स्वीकृत राशि	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	स्वीकृत राशि	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	स्वीकृत राशि	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	स्वीकृत राशि	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	स्वीकृत राशि
तेलंगाना	22,021	1,407	24,009	1,958	29,792	3,502	41,940	6,368	97,292	11,586
अखिल भारत	**8,35,592**	**36,899**	**7,17,020**	**56,171**	**11,65,786**	**1,04,781**	**17,24,073**	**2,02,807**	**27,15,275**	**3,05,506**

(ग) एवं (घ) : एमएसएमई मंत्रालय देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का क्रियान्वयन करता है। स्कीम का उद्देश्य मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना और नए/मौजूदा औद्योगिक एस्टेटों/क्षेत्रों/फ्लेटेड फैक्टरी परिसरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए भारत सरकार के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाते हुए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के समग्र विकास के लिए उनकी उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है और स्कीम के तहत प्रस्ताव राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से, उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा क्लस्टरों की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, प्राप्त किए जाते हैं।

तेलंगाना राज्य में एमएसई-सीडीपी के तहत विगत 5 वर्षों में अनुमोदित सीएफ़सी और आईडी परियोजनाओं की स्थिति निम्न प्रकार से है:

राज्य	सीएफ़सी		आईडी	
	चालू	पूर्ण	चालू	पूर्ण
तेलंगाना	02	0	23	0

उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए विगत पाँच वर्षों के दौरान भारत सरकार का कुल निर्मुक्त अनुदान 54.5 करोड़ रुपए है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1952, जिसका उत्तर दिनांक 11.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

तेलंगाना राज्य में दिनांक 01/07/2020 से 30/11/2025 तक उद्यम और यूएपी के तहत जिला-वार पंजीकृत कुल उद्यम					
क्र.सं.	जिला	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1	आदिलाबाद	59,764	161	8	59,933
2	भद्राद्री कोथागुडेम	1,18,327	182	3	1,18,512
3	हनुमाकोंडा	87,823	513	25	88,361
4	हैदराबाद	4,73,308	7,795	1,014	4,82,117
5	जगतियाल	83,343	137	3	83,483
6	जनगांव	44,292	91	1	44,384
7	जयशंकर भूपालपल्ली	26,092	45	2	26,139
8	जोगुलंबा गडवाल	37,860	94	1	37,955
9	कामारेड्डी	48,668	139	5	48,812
10	करीमनगर	1,47,213	468	18	1,47,699
11	खम्मम	1,62,614	440	15	1,63,069
12	कोमाराम भीमा आसिफाबाद	33,019	48	2	33,069
13	महबूबाबाद	57,113	109	4	57,226
14	महबूबनगर	1,09,214	292	17	1,09,523
15	मंचेरियल	85,990	134	4	86,128
16	मेडक	72,323	271	17	72,611
17	मेडचल मलकजगिरि	2,21,695	2,886	188	2,24,769
18	मुलुगु	20,290	34	1	20,325
19	नगरकुरनूल	65,527	119	2	65,648
20	नलगोंडा	1,99,498	491	36	2,00,025
21	नारायणपेट	33,048	38	-	33,086
22	निर्मल	91,610	122	6	91,738
23	निजामाबाद	1,85,811	390	24	1,86,225
24	पेद्दापल्ली	66,899	181	3	67,083
25	राजन्ना सिरसिला	59,636	56	1	59,693
26	रंगा रेड्डी	2,80,987	3,057	274	2,84,318
27	संगारेड्डी	1,40,252	568	56	1,40,876
28	सिद्दीपेट	1,11,406	270	10	1,11,686
29	सूर्यापेट	86,537	285	6	86,828
30	विकाराबाद	64,552	128	3	64,683
31	वानापर्थी	44,212	87	1	44,300
32	वारंगल	1,07,856	193	12	1,08,061
33	यादाद्री भुवनगिरि	90,870	178	8	91,056
	कुल:	**35,17,649**	**20,002**	**1,770**	**35,39,421**